

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand (India)

Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक संख्या 2477 वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0 / 2027-28

दिनांक: 13 / 10 / 2026

सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि संस्थानों की अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण (शैक्षिक सत्र 2027-28) हेतु विश्वविद्यालय के ऑनलाईन अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अतः समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिकानुसार आवेदन किये जाने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक सम्बन्धित पोर्टल में आवेदन करने का कष्ट करें:-

विधि संस्थानों के अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने के लिए निर्धारित तिथियां

(शैक्षिक सत्र 2027-28)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि संस्थानों के शैक्षिक सत्र 2027-28 की अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां।	13 अक्टूबर, 2026 से 25 अक्टूबर, 2026 तक
प्राप्त आवेदनों में संस्था स्तर पर सूचना अपडेट किये जाने अथवा सुधार किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां।	26 अक्टूबर, 2026 से 27 अक्टूबर, 2026 तक
पोर्टल बंद किये जाने की तिथि समाप्ति उपरान्त संस्था द्वारा विलम्ब से आवेदन किये जाने की दशा में अर्थदंड की राशि रु0 10000/- सहित आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां।	28 अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक
नोट:- शैक्षिक सत्र 2027-28 की अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु नियामक संस्था की स्वीकृति/मान्यता प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। नियामक संस्था की स्वीकृति/मान्यता प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था के अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	

(उप कुलसचिव)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में प्रेषित।
2. निजी सचिव सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, लोकभवन, देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. इंचार्ज, यू0एम0एस0 पोर्टल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समस्त संस्थान/सोसाइटी/ट्रस्ट तथा सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वेबमास्टर, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त सम्बद्ध विधि संस्थान, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।

(उप कुलसचिव)